उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्याः 2016–गोपन–06 / पाकालि / 2020–03–सा0गो0 / 2017 दिनांकः जून, 2020

स्पीडपोस्ट / महत्वपूर्ण

(1) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
(4) समस्त निदेशक (वाणिज्य) / (वितरण) / पारेषण / वित्त / तकनीकी / कारपोरेट प्लानिंग / वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट्स / आपरेशन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

विषयः– कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत अभियन्ता / गैर अभियन्ताओं की प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 (दि:01.04.19 से 31.03.2020) के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय सारिणी के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं–824–कविनी / राविप–29–96–08–काविनी / 93, दिनांक 18.04.1996 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी कम्पनियों के अभियन्ता / गैर अभियन्ताओ / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय सीमा निर्धारित है । जिसमें प्रतिवेदी द्वारा स्वांकन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल, प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा 15 मई तक समीक्षक अधिकारी को, समीक्षक अधिकारी द्वारा 15 जून तक अन्तिम अधिकारी को तथा अन्तिम अधिकारी द्वारा 15 जुलाई तक आख्या पूर्ण करा कारपोरेशन मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराये जाने की अवधि निर्धारित है ।

कोविड–19 महामारी के फैलाव एवं देश में लाक डाउन होने के कारण प्रदेश में आवश्यक सेवायें जारी रखने तथा कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा युद्धस्तर पर अनवरत कार्य किया जा रहा है । जिसके दृष्टिगत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी डिस्कामों एवं अन्य संबंधित इकाईयों में तैनात अभियन्ता / गैर अभियन्ता अधिकारियों की प्रतिवेदन वर्ष 2019–2020 (दि:01.04.2019 से 31.03.2020) की प्रस्तुतिकरण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सीमा कारपोरेशन के उक्त आदेश के सन्दर्भ में निम्नवत निर्धारित कर दी जाए :–

(1) स्वमूल्यांकन (self Appraisal) जहॉ लागू प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 मई होगी ।
(2) प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों की प्रविष्टियॉ 30 जून समीक्षक अधिकारियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
(3) समीक्षक अधिकारियों द्वारा उक्त प्रविष्टियॉ अपने मन्तव्य अंकित करने के उपरान्त 30 जुलाई तक अन्तिम अधिकारी / अधिकारियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(4) स्वीकर्ता / अन्तिम प्राधिकारियों द्वारा प्रविष्टियॉ अपना मन्तव्य अंकित करने के पश्चात 15 अगस्त तक अधिकारियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी अथवा जो अधिकारी सम्बन्धित कर्मचारियों की संकलित गोपनीय प्रविष्टियों के रख रखाव के लिए उत्तरदायी है, को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अभियन्ता / गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्यायें पूर्ण करा कारपोरेशन मुख्यालय को समय सीमा के अर्न्तगत प्रेषित कराये जाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अजय कुमार पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

संख्या:2016 (1)–गोपन(06) / पाकालि / 2020– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 प्रांगण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, स्तर–2, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
4. महाप्रबन्धक(लेखाप्रशासन) / उपमहाप्रबन्धक(लेखा–प्रशासन) / समस्तमुख्य / उपमुख्यलेखाधिकारीगण, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. कारपोरेशन मुख्यालय शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार के समस्त अधिकारीगण / अनुभाग / शिविर।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

12.6.2020

(कैलाश चन्द्र जोशी)
अनुसचिव (गोपन)